सत्यमेव जयते
राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली जिला बून्दी (राज0)

पीठासीन अधिकारी :– शिवराज मीणा, आर.ए.एस. (उपखण्ड अधिकारी)

प्रकरण संख्याः– 185/प्रा0पत्र/2025 दायरा दिनांक :–30.06.2025

GCMS ID–2025/143

बउनवान

1. रूकमा आयु 50 वर्ष पत्नी जयलाल जाति गुर्जर निवासी चावण्डिया पोस्ट ओवण तहसील हिण्डोली जिला बून्दी राज.

प्रार्थीया

बनाम

1. रामकरण पिता देवा जाति गुर्जर निवासी चावाण्डिया पोस्ट ओवण तहसील हिण्डोली जिला बून्दी राज.
2. राजस्थान राज्य जर्ये तहसीलदार साहब हिण्डोली जिला बून्दी राज़.

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र :– अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम

वकील प्रार्थी :– श्री चन्द्रप्रकाश जैन।

वकील अप्रार्थीगण :– एकतरफा

आदेश

दिनांक :–28.01.2026

प्रार्थना पत्र में तथ्य इस प्रकार है कि ग्राथ भूमि खाता संख्या 351 ख.सं. 140 रकबा 0.3480 हैक्टेयर, ख.सं. 245 रकबा 0.6232 हैक्टेयर कुल किता 2 कुल रकबा 0.9712 हैक्टेयर वाके ग्राम ओवण पटवार मण्डल ओवण तहसील हिण्डोली जिला बून्दी मे विस्थित है, जो प्रार्थीया की खातेदारी मे दर्ज है, उक्त भूमि पर प्रार्थीया निरन्तर निर्वाध रूप से शान्ति पूर्वक काबिज काश्त चली आ रही है। प्रार्थीया की भूमि ख.सं. 140 रकबा 0.3480 हैक्टेयर के समीप ही अप्रार्थी संख्या 1 के खाते की भूमि ख.सं. 2611/139 है। प्रार्थीया प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित भूमि की प्रार्थीया खातेदार है, लेकिन प्रार्थीया की भूमियो की सीमाओ पर कोई मुस्तकिन निशान नही होने से तथा सीमाबंधी के बाबत् कोई स्थायी चिन्ह नहीं होने से अप्रार्थी आये दिन प्रार्थीया की भूमियो पर कब्जा व मेडो को तोडने की कुचेष्टा करता तथा प्रार्थीया की भूमि के अन्दर अपनी भूमिया बताते है, तथा आये दिन लडाई झगडा करते है। जिस कारण प्रार्थीया अपनी भूमियो पर तारपेसिंग वगेरा नही करवा पा रही है। प्रार्थीया चाहती है कि अपनी भूमि की पत्थरगढी करवाकर अपनी सीमाओ पर तारपेसिंग कर सके। इस कारण अपनी भूमि की पत्थरगढी करवानी चाहती है। प्रार्थीया ने अपनी भूमि का पूर्व में सीमज्ञान करने हेतु तहसीलदार साहब के समक्ष आवेदन पेश किया था, जिस पर दिनांक 22.03.2024 को श्रीमान तहसीलदार साहब के आदेश की पालना में दिनांक 1.5.2024 को

Email- sdohindoli@gmail.com Phone no-7436276446

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली

प्रार्थीया की भूमियो का सीमाज्ञान किया गया परन्तु परन्तु अप्रार्थी उक्त सीमाज्ञान को आज दिन तक मानने को तैयार नही हुये है तथा अप्रार्थी ने अभी दिनांक 20.06.2025 को प्रार्थीया को धमकी दी कि तुम्हारी भूमि ख.सं. 140 रकबा 0.3480 हैक्टेयर पर जबरन कब्जा कर फसल बोयेगे, इसलिये प्रार्थीया को उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुती का कारण उत्पन्न हुआ है। प्रार्थीया की भूमि की पत्थरगढी नहीं होने से प्रार्थीया अपनी भूमि पर पूर्व मे तारपेसिंग नही कर पाई है, ऐसी स्थिति मे प्रार्थीया को अपनी भूमि की पत्थरगढी करवाकर अपनी भूमि की सीमा पर तारपेसिंग करना नितान्त आवश्यक हो गया है। प्रार्थीया नियमानुसार शुल्क जमा करवाने को तैयार है। प्रार्थना पत्र निर्धारित न्याय शुल्क मय तलबाने पर प्रस्तुत है। अतः श्रीमान से प्रार्थना है कि प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थीया की खातेदारी भूमि सा.सं. 140 रकबा 0.3480 हैक्टेयर हैक्टेयर वाके ग्राम ओवण पटवार मण्डल ओवण की पत्थरगढी करने के आदेश प्रदान करने की कृपा करे। अन्य न्यायोचित सहायता जो भी सुलभ हो प्रार्थी को प्रदान की जावे।

प्रार्थना–पत्र प्रार्थीया प्रस्तुत होने पर प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण जर्ये नोटिस तलब किया गया।

अप्रार्थी संख्या 1 को पर्याप्त अवसर दिए जाने पर भी जबाव पेश नहीं करने से जबाव बन्द किए जाने के आदेश दिए गए। अप्रार्थी संख्या 2 सरकार ने नियमानुसार राशि जमा कर आदेश पारित करने में कोई आपत्ति नहीं होना आदेशिका पर अंकित किया।

राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 111 में प्रावधान निहित है कि किन्ही सीमाओं से सम्बन्धित किसी विवाद के मामले में लेण्ड रिकॉर्ड ऑफिसर, जहॉ तक संभव हो वर्तमान सर्वेक्षण नक्शे के आधार पर ऐसे विवाद निपटायेगा और यह संभव न हो अथना ऐसे नक्शे उपलब्ध न हो तो वास्तविक कब्जे के आधार पर निपटायेगा। भू–प्रबन्धन कार्य समाप्त होने पर ऐसे विवाद कलक्टर द्वारा निपटाये जाऐंगे। राज्य सरकार ने अधि.सं. एफ. 4 (64) रे. बी. ग्रुप/62 दिनांक 12.06.1963 के द्वारा ये शक्तियॉ एस0डी0ओ0 को प्रत्यायोजित कर दी है।

अभिभाषक प्रार्थीया को सुना गया। बहस वकील प्रार्थीया मुख्य रूप से प्रार्थना पत्र के अनुसार रही।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया, वकील प्रार्थीया द्वारा बहस के दौरान प्रस्तुत पर मनन किया। वादग्रस्त आराजी मुताबिक नकल, जमाबंदी संवत् 2076–79 वाके ग्राम ओवण पटवार मण्डल ओवण तहसील हिण्डोली की खतौनी संख्या 351 के अनुसार प्रार्थीया की खातेदारी में दर्ज रिकार्ड है अर्थात् प्रार्थीया वादग्रस्त आराजी के रिकार्डेड खातेदार है। कोई भी रिकार्डेड खातेदार अपनी खातेदारी भूमि की नियमानुसार शुल्क जमा करवाकर पत्थरगढी करवाने का कानूनन अधिकारी होता है। पत्थरगढी के प्रार्थना पत्र में किसी पक्षकार के हितों का निर्धारण नहीं किया

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली

जाना है। पत्थरगढी द्वारा केवल विवादित भूमि की सीमाओं को तय किया जाता है।

—: क्रियात्मक आदेश :—

अतः प्रार्थना—पत्र प्रार्थीया स्वीकार किया जाकर तहसीलदार, हिण्डोली को निर्देश है कि आराजी खाता संख्या 351 के खसरा संख्या 140 रकबा 0.3480 हैक्टैयर वाके ग्राम ओवण पटवार मण्डल ओवण जिला बून्दी जो कि प्रार्थीया की खातेदारी में दर्ज है। उक्त आराजीयात की प्रार्थीया से नियमानुसार शुल्क राजकोष में जमा करवाकर प्रार्थीया व आराजी के पडौसी खातेदारान को सूचित करते हुए उनकी मौजूदगी में विवादित भूमि बाबत किसी अन्य न्यायालय का स्थगन आदेश नहीं होने की स्थिति में व उक्त आराजी में फसल मौजूद नहीं होने की स्थिति में मुस्तकील बिन्दु को आधार मानकर एवं कब्जे की स्थिति को यथावत रखते हुए पत्थरगढ़ी करवाये। पालनार्थ तहसीलदार, हिण्डोली को तहरीर जारी हो एवं पालना रिपोर्ट न्यायालय में पेश करे।

निर्णय आज दिनांक 28.01.2026 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

28/01/2026

(शिवराज मीणा)
आर0ए0एस
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली जिला बून्दी (राज.)

Email- sdohindoli@gmail.com Phone no-7436276446